रद्द हुई दुष्कर्म, धमकी और उगाही की एफआईआर

हाईकोर्ट बोली- तथ्य समझ से परे

ग्वालियर 7 जनवरी. एमपी हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बलात्कार, धमकी और उगाही के आरोपों से जुड़ी एक एफआईआर को रद्द कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि ये आरोप भरोसेमंद नहीं हैं और बदले की भावना से लगाए गए लगते हैं.

कोर्ट ने कहा कि शिकायत में बताए गए तथ्य सामान्य समझ से मेल नहीं खाते. जैसे किसी सार्वजनिक जगह से अपहरण, 20 लाख रुपए की मांग और दुष्कर्म जैसी गंभीर घटना के बाद भी न तो तुरंत शिकायत की गई और न ही कोई मेडिकल जांच कराई गई. इसके अलावा, घटना की कोई स्वतंत्र पुष्टि भी नहीं है.

कोर्ट ने जांच में कई गंभीर गड़बड़ियां भी पाईं. खास तौर पर यह बात गंभीर मानी गई कि धारा 164 के तहत दर्ज बयान जैसे गोपनीय दस्तावेज शिकायतकर्ता के पास पाए गए, जिससे पुलिस जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं. सिरोल थाने में दर्ज इस मामले की पूरी कार्रवाई को अब रद्द कर दिया गया है. शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उससे

20 लाख रुपए की मांग की, झूठे केस में फंसाने की धमकी दी और फिर कार में बैठाकर सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म किया. यह एफआईआर घटना के करीब आठ महीने बाद दर्ज कराई गई थी. महिला ने देरी का कारण डर और सामाजिक दबाव बताया था.

आरोपी की ओर से अदालत में कहा गया कि यह केस जानबूझकर झूठा और दुर्भावना से दर्ज कराया गया है.

वकील ने बताया कि जिस दिन यह एफआईआर दर्ज हुई, उसी दिन पहले आरोपी की बेटी ने शिकायतकर्ता के पति के खिलाफ गंभीर यौन अपराध की शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद यह केस सामने आया, जिससे साफ होता है कि यह बदले की कार्रवाई है. हाईकोर्ट ने कहा कि यौन अपराधों में देरी हमेशा गलत नहीं मानी जाती, लेकिन यहां आठ महीने की देरी का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया.

शहडोल कलेक्टर पर जुर्माना

जबलपुर,7 जनवरी. मप्र हाईकोर्ट ने प्रशासनिक लापरवाही और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के दुरुपयोग के मामले को काफी सख्ती से लिया. जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने मामले में शहडोल कलेक्टर डॉ. केदार सिंह पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे उन्हें अपने निजी वेतन से जमा करना होगा.

वकील अनिल मिश्रा जेल से रिहा

ग्वालियर,7 जनवरी. मप्र हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी को गैर-कानूनी घोषित करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. मामला संविधान निर्माता डॉ. आंबेडकर की फोटो जलाने और आपत्तीजनक नारेबाजी का है.

हाईकोर्ट ने अवैध मानी गिरफ्तारी

जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया और जस्टिस आशीष श्रोती की डिवीजन बेंच ने अनिल कुमार मिश्रा बनाम स्टेट एंड अदर्स मामले में कहा कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसके गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में और उसकी

उल्लेखनीय है कि अनिल मिश्रा पर डॉ. अंबेडकर का पोस्टर जलाने का आरोप है, जिसके मामले में बाद में अन्य गिरफ्तारियां भी हुई थीं. यह मामला करीब 7 दिन पुराना है. सिटी सेंटर के पटेल नगर चौराहा पर संविधान निर्माता डॉ. अंबेडकर का फोटो जलाने और नारेबाजी करने का वीडियो वायरल हुआ था. भीम आर्मी और उसके सहयोगी संगठन विरोध में आ गए थे.

समझ में आने वाली भाषा में बताना संवैधानिक आवश्यकता है. ऐसा नहीं होने पर गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड दोनों अवैध होंगी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन है. कोर्ट ने अनिल मिश्रा को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है. अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी क्राइम ब्रांच, ग्वालियर द्वारा 1 जनवरी 2026 को दर्ज एफआईआर से जुड़ी थी. उन्हें 2 जनवरी को जेएमएफसी ने न्यायिक हिरासत में भेजा था. मिश्रा ने हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर कर कहा कि उन्हें एफआईआर से पहले गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए. कोर्ट ने इन दलीलों को सही मानते हुए उनकी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी ठहराया.

एक नजर में

मीनाक्षी श्रीवास का टेबल टेनिस स्पर्धा में चयन

छिंदवाड़ा. जिले के शासकीय हाई स्कूल माल्हनवाड़ा में पदस्थ माध्यमिक शिक्षिका मीनाक्षी श्रीवास ने राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होकर जिले का नाम रोशन किया है। अपने उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन और निरंतर मेहनत के बल पर उन्होंने ऑल इंडिया सिविल सर्विस टेबल टेनिस चैंपियनशिप में लगातार चौथी बार मध्यप्रदेश टीम में प्रथम वरीयता के साथ स्थान प्राप्त किया है। समस्त शासकीय विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए चंडीगढ़ में आयोजित होने वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में वे महिला टीम की कप्तान के रूप में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए छिंदवाड़ा जिले की प्रतिभा और समर्पण की पहचान राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करेंगी।

बोराली ढाबे से अवैध शराब जब्त

बदनावर (धार). लेबड़-नयागांव फोरलेन मार्ग पर स्थित ग्राम बोराली के एक ढाबे पर बदनावर पुलिस ने मंगलवार देर शाम बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के कारोबार का खुलासा किया, जहां छापेमारी के दौरान कुल 1 लाख 61 हजार 600 रुपए मूल्य की मदिरा जब्त की गई। थाना प्रभारी अमितसिंह कुशवाह ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गठित पुलिस दल ने मौके पर दबिश दी, जिससे ढाबे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। तलाशी के दौरान पुलिस को 33 पेटियां मिलीं, जिनमें 279 बल्क लीटर देशी शराब पाई गई, जिसकी अनुमानित कीमत 1 लाख 55 हजार रुपए आंकी गई.

विहिप के व्हाट्सएप ग्रुप हुए हैक

जबलपुर 7 जनवरी. विश्व हिंदू परिषद (विहिप) महाकौशल से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप साइबर ठग ने हैक कर लिए. मामले की शिकायत सायबर सेल में की गई है. विहिप पदाधिकारी पंकज कुमार के मुताबिक साइबर ठगों ने ग्रुप हैक करने के साथ उनके नाम और प्रोफाइल फोटो बदले है. एडमिन भी बनाये गए है. जिसमें संदिग्ध लिंक भेजी जा रही है. उन्होंने बताया कि संगठनात्मक कार्यक्रमों और महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए विहिप महाकौशल के नाम से बने ग्रुप का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया. इसके अलावा अन्य ग्रुप के नाम भी बदले गए है. जिसमें अज्ञात लोगों को जोड़ा गया है.

9 करोड़ से बनने वाले भवन का किया भूमि पूजन

जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करना मूल कार्य

मंदसौर 7 जनवरी. उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को मल्हारगढ़ में 9 करोड़ 10 लाख रुपये की लागत से बनने वाले संयुक्त तहसील कार्यालय भवन का विधिवत भूमि पूजन किया. कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ.

इस अवसर पर सांसद सुधीर गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार, जिला योजना समिति सदस्य राजेश दीक्षित, मदनलाल राठौर, जनपद अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा पाटीदार सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे. प्रशासनिक अधिकारियों में अपर कलेक्टर

श्रीमती एकता जायसवाल, एसडीएम मल्हारगढ़ श्रीमती स्वाति तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे. उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना सरकार का मूल दायित्व है. आज योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिये के सीधे आमजन तक पहुंच रहा है. उन्होंने संयुक्त तहसील कार्यालय भवन का निर्माण एक वर्ष में पूर्ण करने के निर्देश देते हुए स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया.

उन्होंने कहा कि इस भवन के निर्माण से तहसील से जुड़े सभी विभाग एक ही परिसर में संचालित होंगे, जिससे राजस्व, नामांतरण, सीमांकन, प्रमाण-पत्र सहित अन्य कार्यों का त्वरित व पारदर्शी निराकरण हो सकेगा. किसानों को खसरा-खतौनी, भूमि विवाद एवं फसल बीमा से जुड़े कार्यों में सुविधा मिलेगी. सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि नवीन तहसील भवन से नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और भूमि विवादों का त्वरित समाधान संभव होगा. यह भवन प्रदेश के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित होगा.

मंत्री राजपूत के निर्वाचन को लेकर एक और याचिका दायर

जबलपुर 7 जनवरी. भाजपा के सुरखी विधायक और राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्वाचन को लेकर एक बार फिर संवैधानिक सवाल खड़े हो गए हैं।

चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रतिनिधित्व को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखा जा सकता। यदि इलेक्शन कमीशन इसे सुनवाई योग्य नहीं मानता था तो उसे निरस्त किया जाना चाहिए था। कोर्ट ने कांग्रेस के नीरज शर्मा की इस याचिका को वर्ष 2025 में दायर पूर्व याचिका के साथ क्लब कर दिया है और स्पष्ट किया है कि फिलहाल कोई अंतिम आदेश नहीं दिया जा रहा। मामले की शीघ्र संभावित हैए जहां इलेक्शन कमीशन को अपनी अब तक की कार्रवाई का विवरण पेश करना पड़ सकता है। नई याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव के समय गोविंद सिंह राजपूत ने अपनी संपत्ति का सही विवरण नहीं दिया। इस संबंध में इलेक्शन कमीशन को दी गई शिकायत पर वर्षों से कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में इलेक्शन कमीशन पर निष्क्रियता का भी आरोप लगाया गया है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान इलेक्शन कमीशन और गोविंद सिंह राजपूत की ओर से याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाए गए।

ट्रैक्टरों के साथ किसानों का प्रदर्शन

जबलपुर 7 जनवरी. मध्यप्रदेश शासन की किसान विरोधी नीतियों, धान खरीदी में अनियमितताओं, बिजली, खाद और लंबित भुगतानों को लेकर बुधवार 7 जनवरी 2026 को जबलपुर जिले में किसानों का उग्र आंदोलन देखने को मिला.

भारतीय किसान संगठन एवं संयुक्त किसान मंच के संयुक्त आवाहन पर जिलेभर से हजारों किसान ट्रैक्टरों के साथ सड़कों पर उतरे और विशाल ट्रैक्टर रैली

चार घंटे तक यातायात रहा प्रभावित

निकालते हुए एसडीएम कार्यालय का घेराव किया.

दोपहर 12 बजे से ही किसान ट्रैक्टरों के काफिले के रूप में पाटन चौराहे पर एकत्र होने लगे. रैली के कारण चौराहे का एक ओर का मार्ग लगभग चार घंटे तक पूरी तरह बंद रहा, जिससे यातायात प्रभावित हुआ. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया. पाटन चौराहे पर आयोजित आमसभा में किसान संगठनों के पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस नेताओं ने भी किसानों को संबोधित किया.

वीबी जी राम जी ग्रामीण रोजगार को निर्णायक कदम

जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने आजीविका मिशन की गारंटी बिल पर दी जानकारी

छिंदवाड़ा 7 जनवरी. जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह एवं भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने जिला भाजपा कार्यालय में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी बिल पर पत्रकारों से चर्चा की. प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की दिशा में ग्रामीण रोजगार का नया भरोसेमंद मॉडल बना है, जो की रोजगार की गारंटी देते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आज तक महात्मा गांधी के नाम का उपयोग केवल वोट के लिए

125 दिन रोजगार की गारंटी

उन्होंने कहा कि मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की बात थी लेकिन नए बिल में

125 दिन के रोजगार की गारंटी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस योजना को लेकर झूठ बोलने का भ्रम फैलाकर किसान और गरीब मजदूर तथा जनता को गुमराह कर रही है, जबकि यह योजना से मजदूर और किसानों को अधिक लाभ मिलेगा यह लाभकारी योजना है. प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में वीबी जी राम जी ग्रामीण रोजगार को सशक्त बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है. जहां 125 दिन की कानूनी रोजगार गारंटी, साप्ताहिक मजदूरी भुगतान, खेती के मौसम में 60 दिनों का समुचित ब्रेक और बायोमेट्रिक व एआई आधारित निगरानी के माध्यम से पारदर्शिता और भरोसे को नई मजबूती मिली है.

किया. उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की जो प्रिय था कांग्रेस ने हमेशा उससे परहेज किया. उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को स्वच्छता प्रिय रही लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया तब सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस ने की.

उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान को लेकर कांग्रेस ने तरह तरह की बात की. उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते थे लेकिन जब भ्रष्टाचार मुक्त भारत का अभियान प्रारंभ हुआ तब सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस ने की. विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी बिल पर चर्चा करते हुए प्रभारी मंत्री राजेश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने रोजगार की गारंटी वाला बिल लाई है जिसमें रोजगार की गारंटी दी गई है.

हलफनामा के साथ पेश हो छात्रों की जानकारी

नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा संबंधित याचिका की सुनवाई

जबलपुर, 7 जनवरी. नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने सीबीआई की जांच में अनसूटेबल पाये गये छात्र का स्थानांतरण सुटेबल कॉलेज के किये जाने के संबंध में हलफनामा के साथ जानकारी पेश करने के निर्देश जारी किये।

युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 12 फरवरी को निर्धारित की है। गौरतलब है कि लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की तरफ से प्रदेश में फर्जी तरह से संचालित

अवमानना याचिका पर आए आदेश

आदेश के बावजूद भी छात्रों को स्थानांतरण सूटेबल कॉलेज में न किये जाने पर याचिकाकर्ता की तरफ से अवमानना आवेदन दायर किया गया था। जिसकी सुनवाई के दौरान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से न्यायालय को बताया गया था कि नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियमों में किसी जिले के छात्रों को उसी जिले में स्थानांतरित करने संबंधी प्रावधान के कारण हजारों छात्रों को स्थानांतरित करने में सीटों की समस्या आ रही है।

नर्सिंग के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई को प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की जांच के निर्देश दिये थे। सीबीआई जांच में अनसूटेबल पाये गये छात्रों का स्थानांतरण सूटेबल कॉलेज में किये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया गया था। जिसकी सुनवाई करते हुए अनसूटेबल कॉलेज के छात्रों का स्थानांतरण सीबीआई जांच में सूटेबल कॉलेज में किये जाने के आदेश जारी किये थे।

बैंसदा में मिला मृत तेन्दुआ

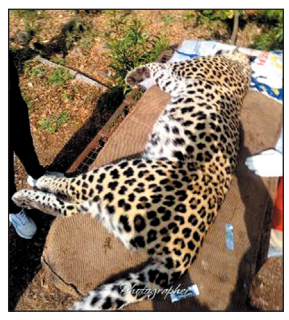

नीमच 7 जनवरी. 5 जनवरी को एक वन्यजीव तेन्दुआ की मृत्यु की घटना जिसका स्थल वन भूमि कक्ष क्रमांक 391. बीट बैसदा वनपरिक्षेत्र मनासा के अंतर्गत प्रकाश में आई. जिस पर एनटीसीए, नई दिल्ली एवं कार्यालय मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक मध्यप्रदेश, भोपाल से जारी दिशा-निर्देश अनुरूप त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना स्थल को सुरक्षित किया गया व डॉग स्क्वाड की सहायता से घटना स्थल एवं उसके आस-पास छानबीन की कार्यवाही की गई.

पोस्टमार्टम विशेषज्ञ वन्यजीव चिकित्सकों (1) डॉ. जीवन नाथ

नहीं मिले शिकार होने के कोई साक्ष्य

(2) डॉ. भूपेश पाटीदार के द्वारा किया गया है. वन्यजीव तेन्दुआ के शरीर के सभी अंग सुरक्षित पाये गये. निर्धारित प्रक्रिया अनुसार शवदाह /भस्मीकरण की कार्यवाही वनमंडलाधिकारी नीमच, तहसीलदार मनासा, सरपंच ग्राम पंचायत पलासिया एवं वन स्टॉप व अन्य की उपस्थिति में की गई.

सत्यापन न होने पर फूटा किसानों का गुस्सा

चक्काजाम कर किया विरोध प्रदर्शन

सतना 7 जनवरी. धान पंजीयन का सत्यापन न होने और धान की तौल के बाद खरीदी की अनियमितता से नाराज सिकमी किसान सड़कों पर उतर आए. किसानों ने सर्किट हाउस चौराहे पर चक्का जाम कर दिया. चक्का जाम की सूचना मिलने पर तुरंत एसडीएम, डीएसपी ट्रैफिक और सीएसपी टीआई मौके पर पहुंचे और किसानों की समस्या सुनी.

विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिले भर के अंदर सिकमी किसान के धान का पंजीयन सत्यापन नहीं हो रहा है. जिसके चलते धान की तोल के बाद भी खरीदी रुकी हुई है. किसान इससे बेहद परेशान हैं. इससे नाराज किसान शहर के मुख्य चौराहे सर्किट हाउस में सड़कों पर उतर आए और चक्का जाम कर दिया. किसानों ने दी धरना जारी रखने की चेतावनी देते हुए कहा कि शासन स्तर पर किसानों से 2369 रुपए में धान खरीदा जाता है. वहीं व्यापारियों द्वारा धान खरीदी 10 से 12 रुपए प्रति किलो की जाती है.

बैठक | **विन्ध्य में औद्योगिक प्रगति को गति**

इंडस्ट्रियल पार्कों को भूमि उपलब्ध कराई जाएगी

भोपाल 7 जनवरी. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने सर्किट हाउस रीवा में आयोजित बैठक में कहा कि विन्ध्य क्षेत्र में एयरपोर्ट, रेलवे और हाईवे जैसी सुविधाओं के साथ पर्याप्त जमीन और पानी उपलब्ध है, जिससे औद्योगिक विकास तेजी से होगा. उन्होंने मैहर और रीवा में इंडस्ट्रियल पार्कों के लिए कम से कम 1,000 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

शुक्ल ने मैहर में झुकेही में 1,450 हेक्टेयर और अमझर में 1,500 हेक्टेयर तथा रीवा जिले में त्योंथर, सोहागी, सिरमौर और क्योटी के आसपास 2,000 हेक्टेयर जमीन इंडस्ट्रियल पार्कों के लिए चिन्हित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में बड़े उद्योगपति निवेश के लिए आकर्षित होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

बैठक में उन्होंने मुख्य सड़कों और रिंग रोड के निर्माण पर भी जोर दिया. बेला-सिलपरा रिंग रोड का रेलवे ओवर ब्रिज समय पर पूरा कराए जाने, रीवा-सीधी फोरलेन और रीवा बायपास रोड के निर्माण की प्रक्रिया तेज करने तथा सिंगरौली हाईवे पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए. इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने बसामन मामा गौ-अभ्यारण्य में प्राकृतिक और जैविक खेती के प्रकल्प को तेजी से विकसित करने और हिनौती गौधाम में शेष शेड, रोड और बाउंड्रीवाल के निर्माण कार्य में गति लाने को कहा. हिनौती गौधाम में 25 हजार से अधिक गौवंश को आश्रय मिलेगा. बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद, रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल, मैहर कलेक्टर रानी बाटड, नगर निगम अध्यक्ष व्यंकटेश पाण्डेय और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

गैंगवार में 10 हजार का इनामी पकड़ा

ग्वालियर 7 जनवरी. दो माह पूर्व घने अंधेरे में आधी रात को गैंगवार की घटना सामने आई थी. वर्चस्व और 5 लाख रूपये के लेन-देन को लेकर बदमाश रिंकू कमरिया गैंग ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी. बदमाशों ने दोस्त को छोड़कर घर लौट रहे हवलदार के बेटे सहित 2 युवकों पर लगभग 15 मिनट में 35 से अधिक गोलियां फायर की थी. इस हमले में हवलदार का बेटा समेत 2 लोग जख्मी हुए थे.

यह घटना घासमंडी इलाके के कोटेश्वर रोड पर हुई थी. इस मामले में फरार चल रहे 10 हजार रूपये के इनामी बदमाश मनीष यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, गैंगवार के मास्टरमाइड रिंकू कमरिया सहित 10 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. पकड़े गये आरोपी मनीष यादव पर ही गोलियां दागने का आरोप है.

35 से अधिक गोलियां फायर कीं

दरअसल, शिवनगर घोसीपुरा, जनकगंज निवासी विजयसिंह गौड़ के पिता मध्यप्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल है. 2 माह पहले ही रविवार की रात विजय अपने दोस्त बल्लू सरकार और हाकिम सिंह बघेल पाटनकर के साथ कार से घासमंडी छोड़ने गया था. लौटते वक्त कोटेश्वर मार्ग पर बदमाश रिंकू कमरिया, अन्नी कमरिया, छोटू कमरिया, चेतन पांडे, प्रियांशु, अन्नी उर्फ अनिल कमरिया, कालू कमरिया और रमेश कमरिया ने उन्हें घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी. लगभग 15 मिनट तक चली फायरिंग में 35 से ज्यादा गोलियां दागी. जिसमें विजय गौड़ को 3 और हाकिम सिंह को 1 गोली लगी. घटना के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गये थे. 1 आरोपी अब भी फरार है.

शासकीय भूमि पर से अतिक्रमण हटाया

चितरंगी 7 जनवरी। तहसील दुधमनिया अंतर्गत ग्राम खिरवा में स्थित शासकीय भूमि आराजी क्रमांक 1444, रकबा 0.85 हेक्टेयर पर किए गए अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा हटाने की कार्यवाही की गई। उक्त भूमि पर अनावेदकगण रामभजन, रामप्रसाद, दयाराम, राजकुमार, उमाशंकर पिता रामलखन यादव, ओमप्रकाश पिता रामभजन यादव एवं मुन्ना प्रसाद पिता रामदुलारे द्वारा दुकान मकान निर्माण तथा फसल लगाकर अवैध कब्जा किया गया था। तहसीलदार के अनुसार प्रकरण में विधिवत राजस्व कार्यवाही उपरांत 11 नवंबर 2024 को अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया गया।